# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
# पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :4 / 2016 (अपील)

उनवान

श्रीमति ज्योति गोचर पत्नि श्री विनोद गोचर जाति गुर्जर आयु 27 वर्ष निवासी 14,पुरानी बस्ती तरक्स्या तहसील सांगोद जिला कोटा

(निगराकार )

बनाम

1. ग्राम पंचायत बोरीनाकला तहसील सांगोद जिला कोटा जरिये सरपंच राजकुमारी मेहता
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सांगोद जिला कोटा
3. सुलेखा मेहता पत्नि बबलू मेहता निवासिनी ग्राम तरक्स्या पोस्ट बोरीनाकला तहसील सांगोद जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री बृजबिहारी गोचर (अभिभाषक निगराकार
2. श्री रधुवीर सिह गौड (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ,3, की ओर से )

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 2.10.2015 ग्राम पंचायत बोरीनाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा आंगनबाडी कार्यकर्ता के चयन हेतु अन्तर्गत धारा 92,97 राज0 पंचायत राज0 अधिनियम 1944

निर्णय दिनांक : 24.07.2024

1 निगराकार की ओर से जर्ये अभिभाषक यह निगरानी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बोरीनाकला तहसील सागोद के आदेश दिनांक 02.10.2015 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से अन्तर्गत धारा 92,97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम 1944 संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई है।

2. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक निगराकार का बहस अपील में कथन है रेस्पो न0 2 के आदेश कमांक 382 दिनांक 14.09.2015 की अनुपालना में आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये। निगराकार द्वारा रेस्पो0 नम्बर 2 के समक्ष विहित प्रारूप में आवेदन भरकर तथा शिक्षा संबंधी समस्त वाछित दस्तावेज संलग्न

अति. जिला कलक्टर
कोटा

कर प्रस्तुत किया जो बाद जांच सही पाया गया तथा निगराकार को चयन हेतु अभ्यथी घोषित किया गया तथा रेस्पा0 नंबर 3 को भी योग्य अभ्यर्थी घोषित किया। निगराकार के दस्तावेजो की जांच के पश्चात रेस्पो द्वारा निगराकार के दस्तावेजो के मूल्यांकन के बाद शैक्षणिक योग्यता हेतु 2 अंक श्रेणी वर्ग हेतु 1 अंक कुल प्राप्ताक 4 प्रदान किये तथा रेस्पो न0 3 को शैक्षणिक योग्यता हेतु 1 अंक श्रेंणी वर्ग हेतु 1 अंक एवं कार्यानुभव हेतु 2 अंक कुल 4 अंक प्रदान किये गये। परिशिष्ट ब चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र के नियम संख्या 3 के अनुसार दो या अधिक आवेदको के बराबर अंक होने की स्थिति में अधिकतम आयु वाली महिला का चयन किया जायेगा अंकित है। निगराकार एवं रेस्पो0न0 3 के बराबर अंक होने से उक्त नियम संख्या 3 लागू होता है तथा निगराकार की जन्म दिनांक 16.11.1987 आयु 27 वर्ष 10 माह है तथा रेस्पो न03 की जन्म दिनांक 25.02.1991 आयु 24 वर्ष ही है तथा निगराकार अधिकतम आयु वाली महिला होने के कारण चयन की हकदार थी। रेस्पो0 नम्बर 1 ने नियमो के विरूद्ध जाकर दिनांक 2.10.2015 को ग्राम संभा का आवंटन कर निगराकार का चयन ना कर रेस्पो0 नंबर 3 का अवैध रूप से चयन कर लिया गया जो निरस्त योग्य है। रेस्पो0 द्वारा 2.10.2015 को गुपचुप तरीके से ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसके व्यवस्थापक महेन्द्र मेहता थे तथा सरंपच राजकुमार मेहता थी। तथा रेस्पो0 न03 सुलेखा मेहता का चयन कर लिया तथा निगराकार के ग्राम पंचायत के कई महीनो तक चक्कर लगाने के बाद भी चयन की जानकारी निगराकार को नहीं दी। अतः आदेश दिनांक 2.10.2015 जिसके तहत रेस्पो0 नम्बर 3 को चयन आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर किया गया है निरस्त फरमाया जावे तथा निगराकार का चयन किये जाने के आदेश पारित फरमावे जावे।

5. रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी श्रवणाधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

6 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त यह पाते है कि आंगनबाडी कार्यकर्ता के चयन हेतु ग्राम पंचायत बोरीनाकला के आदेश दिनांक 2.10.2015 के विरूद्ध निगराकार ने निगरानी अन्तर्गत धारा 92,97 राज0 पचायत राज0 अधिनियम 1944 के तहत प्रस्तुत की है।चूकि आंगनबाडी कार्यकर्ता के चयन प्रकिया एक प्रशासनिक आदेश के तहत की जाती है। जिसकी निगरानी पेश नहीं की जा सकती है। अतः उक्त निगरानी इस न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः निगरानी श्रवणाधिकार क्षेत्र के अभाव मे होने से खारिज की जाती है

7 . निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी )
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा।